2019/00025

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 02 / 2019, (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

पांचू पि.मू. मन्ना, सूरजमल वगै0 जाति धाकड निवासी खेडा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– श्री बद्रीप्रकाश शर्मा (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 19.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 437, 439 कुल रकबा 0.26 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक में खाता नम्बर 83 पर अप्रार्थी श्री पांचू पि. मु. मन्ना, सूरजमल वगै0 जाति धाकड की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम खेडा के उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेण्ट पूर्व खसरा नम्बर 302 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, किस्म गै0मु0 तलाई खातेदार सिवाययक बिला लगानी के नाम दर्ज रिकार्ड था। बन्दोवस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 302 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, जो बखाता सरकार गै0मु0 तलाई दर्ज नाकाबिल आवंटन / परिवर्तन भूमि थी, को खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0 / 6 / 01 / पार्ट 17 / दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 437, 439 कुल रकबा 0.26 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक में खाता नम्बर 83 पर अप्रार्थी श्री पांचू पि. मु. मन्ना, सूरजमल वगै0 जाति धाकड के खाते से खारिज कर किस्म गै0मु0 तलाई राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी पांचू की मृत्यु हो जाने से उनके पुत्रान एंव अन्य अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी उन्हें आवंटित हुई थी, उक्त आराजी पूर्व में कभी भी गै0 मु0 तलाई नहीं रही है। तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर काश्त की जा रही है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, वह गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है। इसलिऐ न्याय-हित में रेफरेन्स की, कार्यवाही खारिज किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स की कार्यवाही खारिज फरमाई जावे।

5. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते हैं कि ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 437, 439 कुल रकबा 0.26 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक में खाता नम्बर 83 पर अप्रार्थी श्री पांचू पि. मु. मन्ना, सूरजमल वगै0 जाति धाकड की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम खेडा के उक्त खसरा नम्बरान सेटलमेण्ट पूर्व खसरा नम्बर 302 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, किस्म गै0मु0 तलाई खातेदार सिवाययक बिला लगानी के नाम दर्ज रिकार्ड था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 302 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, जो बखाता सरकार गै0मु0 तलाई दर्ज नाकाबिल आवंटन/परिवर्तन भूमि थी, को खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 437, 439 कुल रकबा 0.26 हैक्टयर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक में खाता नम्बर 83 पर अप्रार्थी श्री पांचू पि. मु. मन्ना, सूरजमल वगै0 जाति धाकड के खाते से खारिज कर किस्म गै0मु0 तलाई राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा